राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प.2(8)गृह–5/2010 पार्ट जयपुर, दिनांक : 25–11–2010

परिपत्र

राज्य में साम्प्रदायिक घटनाओं के निराकरण के सम्बन्ध में गृह विभाग के परिपत्र क्रमांक प.5(8)गृह–13/2008 दिनांक 11–02–2008 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा सामान्य समय में जिला प्रशासन द्वारा सतर्कता एवं सजगता, साम्प्रदायिक तनाव, दंगा व हिंसा से पूर्व की व्यूह रचना, साम्प्रदायिक तनाव, दंगों व हिंसक दंगों के दौरान स्थितियों से निपटने की व्यूह रचना, साम्प्रदायिक तनाव व घटना के बाद की कार्यवाही तथा घटनाओं का तथ्यात्मक विश्लेषण व अन्य कार्यवाहियों के शीर्षक के तहत विभिन्न उपशीर्षकों द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये थे। इस परिपत्र की निरन्तरता में साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति होने व साम्प्रदायिक घटना के घटित होने की सूचना अविलम्ब मुख्यमंत्री कार्यालय व गृह विभाग को प्रेषित करने तथा उक्त निर्देशों की सम्यक् रूप से पालना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिले के जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के होने से सम्बन्धित निर्देश परिपत्र क्रमांक प.2(8)गृह–5/2010 दिनांक 07–07–2010 द्वारा दिये गये थे।

राज्य में घटित साम्प्रदायिक घटनाओं के पश्चात् किये गये उपायों व उनके निवारण हेतु की गयी कार्यवाही को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये उक्त उल्लेखित परिपत्रों की निरन्तरता में निम्नांकित निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(1) साम्प्रदायिक दंगों, सामाजिक उपद्रवों एवं आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों को *"साम्प्रदायिक दंगों, सामाजिक उपद्रवों एवं आतंकवादी गतिविधियों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारजनों को आर्थिक सहायता सम्बन्धी योजना संचालन नियम, 2008"* के तहत देय राशि का भुगतान अविलम्ब किया जाये व भुगतान के पश्चात् उक्त राशि के पुनर्भरण हेतु प्रस्ताव गृह विभाग को प्रेषित किये जाये। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त राशि के भुगतान से पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह से मौखिक सहमति आवश्यक रूप से ली जाये।

(2) जिला प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से संवाद की प्रक्रिया सतत् रखी जाये।

(2) आसूचना संकलन को प्रभावी व विश्वसनीय बनाये रखने तथा सम्प्रेषण के समस्त साधनों को निरन्तर क्रियाशील रखते हुये इसे कारगर बनाया जाये।

(3) जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली को निरन्तर संवेदनशील रखने के समस्त प्रयास किये जाये।

(4) साम्प्रदायिक घटनाओं के निवारण व घटित होने के पश्चात् प्रभावी कार्यवाही के लिये जिला स्तर पर भी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण समय-समय पर आयोजित किया जाय।

Sd/-
(प्रदीप देब)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
5. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग

प्रमाणित
17/1/17
(जगदीश सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव